[2018] 1 एस.सी.आर. 688

रामजी सिंह पटेल

बनाम

ज्ञानचंद्र जायसवाल

सिविल अपील नं. 1799-1800/2018

11 जनवरी, 2018

ए.के. सिकरी और अशोक भूषण, जेजे।

नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908-धारा 100-दूसरी अपील-उत्तरदाता ने 1990 के बाद से आटा मिल (अट्टा चक्की) आदि का व्यवसाय चलाया, जो शुरू में बिजली पर संचालित होता था, अपने आवासीय आवास से-अपीलकर्ता, मालिक और निवासी है आस-पास का घर, जिसमें उत्तरदाता के घर के साथ एक आम दीवार है-2004 में अपीलकर्ता द्वारा वाद दायर किया उक्त व्यवसाय को चलाने से उत्तरदाता को प्रतिबंधित करने के लिए वाद दायर किया, जैसा कि अपीलकर्ता के अनुसार वर्ष 2003 से उत्तरदावी ने डीजल इंजन पर मशीनों के साथ आटा मिल का संचालन करना, जिससे गंभीर कंपन और वायु प्रदूषण शुरू हो गया-सूट डिक्री-पहले अपीलीय अदालत द्वारा फैसला सुनाया गया-उच्च न्यायालय ने नीचे के न्यायालयों के आदेशों को अलग रखा-अपील पर, आयोजितः उच्च न्यायालय द्वारा तैयार कानून का महत्वपूर्ण प्रश्न मुकदमा दायर करने में सीमा के मुद्दे से संबंधित है-इस तरह की कोई दलील उत्तरदाता द्वारा उसके द्वारा दायर लिखित लिखित प्रस्तुतियाँ में नहीं ली गई थी और पक्षकारों द्वारा कोई सबूत नहीं दिया गया था। इस प्रकार, सीमा पर कोई मुद्दा नहीं डाला गया-हालांकि, सीमा के किसी विशेष मुद्दे के अभाव में भी, इस तरह की दलील उच्च न्यायालय के समक्ष दूसरी अपील में उत्तरदाता द्वारा ही ली जा सकती थी, यदि सीमा का मुद्दा था कानून के शुद्ध प्रश्न के रूप में उठाया गया-लेकिन, तत्काल मामले में सीमा का मुद्दा कानून और तथ्य का मिश्रित प्रश्न था और इसलिए, यह पहली बार उच्च न्यायालय द्वारा उत्तरदाता द्वारा दायर दूसरी अपील में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता था-पुनः यहां तक कि योग्यता के आधार पर भी उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण सही नहीं था-उच्च न्यायालय के प्रभावित निर्णय को अपास्त किया गया-नीचे के न्यायालयों द्वारा

पारित डिक्री को बहाल किया गया है-सीमा अधिनियम, 1963-धारा 3-सीमा-कानून/तथ्य का प्रश्न-कब उठाया जा सकता है-चर्चा की।

अपील स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने अवधारित किया कि-

1.1 उच्च न्यायालय के फैसले ने ट्रायल कोर्ट द्वारा दर्ज किए गए किसी भी निष्कर्ष के साथ छेड़छाड़ नहीं की है और पहली अपीलीय अदालत द्वारा पुष्टि की है। इसके विपरीत, कानून का पर्याप्त प्रश्न जो उच्च न्यायालय द्वारा तैयार किया गया था, मुकदमा दायर करने में सीमा से संबंधित था। पहले उदाहरण में वादी/अपीलकर्ता द्वारा दायर किए गए मुकदमे में उसके द्वारा दायर लिखित सबमिशन में उत्तरदाता द्वारा ऐसी कोई दलील नहीं दी गई थी और सीमा पर कोई मुद्दा नहीं डाला गया था। स्पष्ट रूप से, इस तरह के किसी भी मुद्दे के अभाव में, पार्टियों ने कोई सबूत नहीं दिया। इसमें कोई संदेह नहीं है, यहां तक कि सीमा के किसी भी विशिष्ट मुद्दे के अभाव में, सीमा अधिनियम की धारा 3 के आधार पर, 1963 की शक्ति को अदालत में यह देखने के लिए डाला जाता है कि क्या सूट सीमा के भीतर है या समय वर्जित है। हालाँकि, इस तरह की दलील उच्च न्यायालय के समक्ष दूसरी अपील में उत्तरदाता द्वारा ही ली जा सकती थी, यदि सीमा का मुद्दा कानून के शुद्ध प्रश्न के रूप में उठाया गया था। तत्काल मामले में, यह एक कानून और तथ्य का प्रश्न और इसलिए, उत्तरदाता द्वारा दायर दूसरी अपील में पहली बार उच्च न्यायालय द्वारा इसका विचार नहीं किया जा सकता था। [पैरा 10,12] [692-ई; 693-बी-डी]

1.2. इसके अलावा, योग्यता के आधार पर भी उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण में दोष है। इसके कम से कम दो कारण हैं जो निम्नानुसार हैं:

क) अपीलकर्ता द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण उचित था। मुकदमा दायर करने के लिए कार्रवाई का कारण डीजी सेट की स्थापना थी जिसे वर्ष 2003 में स्थापित किया गया था। यह मुकदमा वर्ष 2004 में दायर किया गया था और इस प्रकार, समय के भीतर अच्छी तरह से दायर किया गया था।

ख) इसके अलावा, उच्च न्यायालय ने मामले का बहुत ही सूक्ष्म दृष्टिकोण लिया था। एक बार स्पष्ट निष्कर्ष थे कि उत्तरदाता की आटा चक्की शोर के साथ-साथ वायु प्रदूषण का कारण बन रही थी, यह कार्रवाई का एक निरंतर कारण होगा। मिल चलाने के ऐसे गंभीर परिणाम को उच्च न्यायालय द्वारा नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए था। [पैरा 13] [693-ई-जी एच; 694-ए]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार सिविल अपील सं. 1799 -1800/2018

उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा द्वितीय अपील सं. 622-623/2013 में पारित निर्णय और आदेश से दिनांक 29.05.2012 से-

अनुराग दुबे, सुश्री अनु साहनी, राजेश पांडे, संचिता एम., एसआर सेटिया, सलाहकार- अपीलार्थी के लिए।

श्रीमती रचना गुप्ता, अनिल कुमार सिन्हा, सिद्धांत एस. मलिक, सलाहकार- उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय **ए.के. सिकरी, जे**. द्वारा दिया गया-

1. अनुमति प्रदत्र की गयी।

2. इन अपीलों के माध्यम से अपीलकर्ता ने द्वितीय अपील में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा द्वितीय अपील सं. 622/2013 और 623/2013 में पारित 29.05.2013 के निर्णय और आदेश को चुनौती दी। जिसमें उच्च न्यायालय ने उत्तरदाता की इन अपीलों की अनुमति दी है और अपीलकर्ता के पक्ष में ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित निर्णय और डिक्री को अपास्त किया है और प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा भी बरकरार रखा गया है। घटनाओं का कालक्रम निम्नानुसार हैः

3. उत्तरदाता ने आटा मिल, तेल मिल और एक्सपेलर, आइस फैक्ट्री आदि का व्यवसाय चलाना शुरू कर दिया। जो उनके आवासीय आवास से बिजली पर संचालित थे। अपीलकर्ता, जो एक वकील है, बगल के घर का मालिक और निवासी है, जिसमें उत्तरदाता के घर के साथ एक आम दीवार है।

4. अपीलकर्ता के अनुसार, वर्ष 2003 से उत्तरदाता ने डीजल इंजन पर मशीनों के साथ उक्त आटा मिल का संचालन शुरू किया, जिससे गंभीर कंपन और वायु प्रदूषण होने लगा। मशीनों के कारण होने वाले कंपन ने अपीलकर्ता की दीवार को तोड़ दिया और उत्सर्जित प्रदूषण अपीलकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा था। अपीलकर्ता एक वकील होने के नाते अपने निवास से अपने चैम्बर भी चलाता है और इसलिए, गंभीर कंपन और वायु प्रदूषण ने भी अपनी पेशेवर गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव डालना शुरू कर दिया।

5. पूर्वोक्त उत्पीड़न और उपद्रव के कारण अपीलकर्ता ने उप-विभागीय मजिस्ट्रेट को शिकायत की, जिसने प्रशासनिक अधिकारी को अपीलकर्ता की शिकायत पर अपनी रिपोर्ट दर्ज करने का निर्देश दिया। प्रशासनिक अधिकारी ने पूछताछ के बाद 02.12.2003 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

6. प्रशासनिक अधिकारी द्वारा दायर रिपोर्ट पर, उप-मंडल मजिस्ट्रेट ने स्टेशन हाउस अधिकारी को मामले की जांच करने का निर्देश दिया। एसएचओ ने उत्तरदाता को उपद्रव और प्रदूषण को रोकने का निर्देश दिया लेकिन उत्तरदाता ने उक्त दिशा का पालन नहीं किया। उस स्तर पर, उत्तरदाता ने मूल मुकदमा सं. 2518/2003 अपीलार्थी के खिलाफ जिस्मे उत्तरदाता ने अपीलकर्ता के खिलाफ उत्तरदाता के व्यवसाय के संचालन में हस्तक्षेप करने से स्थायी निषेधाज्ञा के लिए प्रार्थना की।

7. इसके बाद अपीलकर्ता ने मूल मुकदमा सं. 26/2004 उत्तरदाता के खिलाफ जिसमें अपीलकर्ता ने उत्तरदाता के व्यवसाय को चलाने के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा के लिए प्रार्थना की जो उपद्रव और प्रदूषण का कारण बन रहा था। परीक्षण के बाद, अपीलकर्ता के मुकदमे का फैसला किया गया था और ट्रायल कोर्ट ने स्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 03.12.2012 को एक डिक्री पारित की, जिसमें उत्तरदाता को उक्त मशीनों के संचालन और वायु और ध्वनि प्रदूषण फैलाने से रोक दिया गया था। दूसरी ओर, उत्तरदाता के दावे को उसी तारीख खारिज कर दिया गया था।

8. सिविल जज (जूनियर डिवीजन) सकरी इलाहाबाद द्वारा पारित निर्णयों और डिक्री से दुखी होकर, सिविल अपील अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, न्यायालय संख्या 2, इलाहाबाद के समक्ष सिविल अपील सं. 206/2012 और 207/2012 दायर की गयी अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, इलाहाबाद ने एकमोन पुष्टिकरण निर्णय पारित किया और सिविल अपील में दिनांक 25.02.2013 को फैसला सुनाया। और अवधारणा व्यक्त किया कि-

“4. उत्तरदाता का घर अपीलकर्ता के घर से सटा हुआ है और दोनों घरों के बीच 4" चौड़ाई की एक दीवार थी।

ii. उत्तरदाता के पास आटा मिल, तेल मिल और एक्सपेलर, आइस फैक्ट्री आदि का व्यवसाय है। और वह डीजल पर उक्त मशीनों का उपयोग करता है। यह। उत्तरदाता ने 1990 में अपना व्यवसाय शुरू किया लेकिन उस समय उनकी मशीनों को बिजली पर संचालित किया गया था।

iv. 2003 में उत्तरदाता ने एक्सपेलर मशीन आदि का उपयोग करना शुरू कर दिया। जो डीजल पर संचालित किया गया था जिसने बहुत सारे कंपन और वायु और ध्वनि प्रदूषण का उत्पादन किया था।

v. उक्त मशीनों के कारण होने वाले कंपन के कारण अपीलकर्ता की तरफ की दीवार कई स्थानों पर टूट गई।

vi. उसका व्यवसाय चलाना अपीलकर्ता और उसके परिवार के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।

vii. गवाहों के मौखिक साक्ष्यों ने यह स्पष्ट कर दिया कि उत्तरदाता द्वारा उपयोग की जाने वाली मशीनों ने कंपन पैदा किया और वायु और ध्वनि प्रदूषण का उत्सर्जन किया।

viii. यह उत्तरदाता द्वारा स्वीकार किया गया था कि मशीनों ने वायु और ध्वनि प्रदूषण का कारण बना।

ix. उक्त व्यवसाय का संचालन निजी उपद्रव के दायरे में आया और इस तरह की गतिविधियों को आवासीय क्षेत्रों में नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि यह बड़े पैमाने पर लोगों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।

x. वॉलेंटी नॉन फिट इंजुरिया की रक्षा तब नहीं होती है जब अपीलकर्ता ने 1990 में इस घर में रहना शुरू किया था, उत्तरदाता बिजली पर मशीनों का संचालन कर रहा था और यह 2003 में था कि उत्तरदाता ने डीजल पर मशीनों का संचालन शुरू किया जिससे कंपन और प्रदूषण हुआ।

xi. अपीलकर्ता उत्तरदाता के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा का हकदार है।"

9. सिविल अपील नं. 206/2012 और 207/2012 के निर्णय से शुब्ध होकर, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, इलाहाबाद में उत्तरदाता ने द्वितीय अपील नं. 622/2013 और 623/2013 इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष दायर की। उच्च न्यायालय ने द्वितीय अपील दोनों को स्वीकार कर सिविल जज (जूनियर डिवीजन), सकरी, इलाहाबाद द्वारा पारित निर्णय एवं ऑर्डर दिनांकित 03.10.2012 और अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, कोर्ट नं. 2, इलाहाबाद द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांकित 25.02.2013 को अपास्त किया तथा मूल वाद नं. 26/2004 को निरस्त करने का आदेश दिया।

10. उच्च न्यायालय के निर्णय के अवलोकन से पता चलता है कि यह ट्रायल कोर्ट द्वारा दर्ज किए गए किसी भी निष्कर्ष के साथ छेड़छाड़ नहीं है और पहली अपीलीय अदालत द्वारा पुष्टि की गई है। इसके विपरीत, कानून का पर्याप्त प्रश्न जो उच्च न्यायालय द्वारा तैयार किया गया था, वह मुकदमा दायर करने की सीमा से संबंधित है जो निम्नानुसार हैः

“क्या विचाराधीन मुकदमे को समय के अनुसार रोक दिया गया था क्योंकि प्रार्थना में मांगी गई प्रार्थना से पता चलता है कि कार्रवाई का कारण 1990 में उत्पन्न हुआ था, हालांकि मुकदमा 2004 में दायर किया गया था और माना जाता है कि सीमा की अवधि केवल तीन साल है।”

11. उच्च न्यायालय के अनुसार रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य बताते हैं कि अट्टा चक्की को शुरू में 1990 में स्थापित किया गया था, लेकिन अपीलकर्ता द्वारा इसमें कोई असुविधा महसूस नहीं की गई थी और इसलिए, उसने कोई शिकायत नहीं की। केवल स्पष्टीकरण यह है कि उस समय उत्तरदाता बिजली के साथ पूर्वोक्त मशीन चला रहा था जिससे प्रदूषण या कोई असुविधा नहीं हो रही थी और वर्ष 2003 से उत्तरदाता ने डीजल जनरेटर सेट (डीजी सेट), डीजी द्वारा बनाए गए धुएं और शोर का उपयोग करना शुरू कर दिया। सेट ने गंभीर वायु और अन्य प्रदूषण का कारण बना है। यह स्पष्टीकरण उच्च न्यायालय द्वारा आश्वस्त नहीं पाया गया है। इस प्रकार, इस तथ्य से प्रभावित होकर कि अट्टा चक्की 1990 में शुरू की गई थी और उसके 14 साल बाद मुकदमा दायर किया गया था, अर्थात। वर्ष 2004 में, इसे समय के लिए रोक दिया गया था।

12. पार्टियों के विद्वान वकील को सुनने के बाद, हम खुद को उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण के अनुरूप नहीं पाते हैं। यह ध्यान दिया जा सकता है कि पहले उदाहरण में वादी/अपीलकर्ता द्वारा दायर किए गए मुकदमे के लिए उसके द्वारा दायर लिखित प्रस्तुतियाँ में उत्तरदाता द्वारा ऐसी कोई दलील नहीं दी गई थी और सीमा पर कोई मुद्दा नहीं डाला गया था। जाहिर है, इस तरह के किसी भी मुद्दे के अभाव में, पार्टियों ने कोई सबूत नहीं दिया। कोई संदेह नहीं है, यहां तक कि किसी विशेष मुद्दे के अभाव में भी सीमा अधिनियम की धारा 3 के आधार पर, सीमा अधिनियम की धारा 3 के आधार पर, न्यायालय पर यह देखने के लिए शक्ति डाली जाती है कि क्या मुकदमा सीमा के भीतर है या समय वर्जित है। हालाँकि, इस तरह की दलील उच्च न्यायालय के समक्ष दूसरी अपील में उत्तरदाता द्वारा ही ली जा सकती थी, यदि सीमा का मुद्दा कानून के शुद्ध प्रश्न के रूप में उठाया गया था। तत्काल मामले में, हम इसे कानून और तथ्य

का मिश्रित प्रश्न मानते हैं और इसलिए, यह पहली बार दूसरी अपील में उच्च न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया जा सकता था।

13. इसके अलावा, योग्यता के आधार पर भी हम उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण में दोष पाते हैं। इसके कम से कम दो कारण हैं जो निम्नानुसार हैंः

क) अपीलकर्ता द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण उचित था। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि उक्त अट्टा चक्की (फ्लोर मिल) के संचालन में उपद्रव शुरू हो गया था जब उत्तरदाता ने वर्ष 2003 में डीजी सेट स्थापित किया था क्योंकि इससे धुआं निकलता था जिससे वायु प्रदूषण पैदा होता था और ध्वनि प्रदूषण भी शुरू हो जाता था। इसलिए, मुकदमा दायर करने के लिए कार्रवाई का कारण डीजी सेट की स्थापना थी जो वर्ष 2003 में स्थापित की गई थी। यह मुकदमा वर्ष 2004 में दायर किया गया था और इस प्रकार, अवधि सीमा के अंतर्गत दायर किया गया था।

ख) इसके अलावा, हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय ने इस मामले पर बहुत ही उदासीन दृष्टिकोण रखा है। अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा दर्ज किए गए तथ्य के निष्कर्ष इस आशय के स्पष्ट थे कि उत्तरदाता द्वारा डीजी सेट के उपयोग के बाद और इसके द्वारा बनाए गए कंपन और इसके माध्यम से चलने वाली मशीनों के कारण, अपीलकर्ता पक्ष की दीवार पर दरारें विकसित हुईं। कई स्थानों पर। यह 2003 के बाद हुआ है। एक और स्पष्ट खोज यह है कि व्यवसाय चलाना अपीलकर्ता तथा उसके परिवार के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। एक बार स्पष्ट निष्कर्ष निकलते हैं कि उत्तरदाता की आंटा चक्की के शोर के साथ-साथ वायु प्रदूषण का कारण बन रहा है, यह कार्रवाई का एक निरंतर कारण होगा। इस मिल को चलाने के ऐसे गंभीर परिणाम को उच्च न्यायालय द्वारा नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए था।

14. संक्षेप में, हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय पूर्वोक्त तरीके से अपील की अनुमति देने में त्रुटि में था। इन अपीलों को तदनुसार अनुमति दी जाती है, उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय को अपास्त किया जाता है और नीचे के न्यायालयों द्वारा पारित डिक्री को बहाल किया जाता है।

15. वाद व्यय के लिए कोई आदेश नहीं किया जाता है।

अपील स्वीकार की गयी।

दिव्या पांडे

Jai Shankar Mishra